

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची,

दिनांक :- 22-7-14

अधि.सं.-02/स्था.(प्रति.)-13-01/2013.....2145/ विभागीय अधिसूचना सं.-6096 दिनांक 19.10.2013 के द्वारा श्री ललन कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता (आई.डी.-3919), रूपांकण प्रमंडल सं.-01, मेदिनीनगर को अपने कार्य के अतिरिक्त माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा निबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के कोषांग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। विभागीय अधिसूचना सं.-5894 दिनांक 09.06.2014 द्वारा श्री कुमार को कार्यपालक अभियंता (चालू प्रभार) का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करते हुए योजना एवं मोनेटरिंग प्रमंडल सं.-02, राँची पदस्थापित किया गया है।

श्री ललन कुमार, कार्यपालक अभियंता, माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा निबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के कोषांग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

2. श्री कुमार अपने मूल धारित पद से वेतन भुगतान प्राप्त करते रहेंगे।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 2145 राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 2145 राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/ माननीया विभागीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड राँची/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ श्री ललन कुमार, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनेटरिंग प्रमंडल सं.-02, राँची/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा पदाधिकारी-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/ब, 7/यो., एवं 08ए, 08बी एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

सरकार के संयुक्त सचिव (प्र.)